कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पत्रांक 345
फाईल सं. 13.C
दिनांक 05/09/22

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/119/2018/एफ.सी./354 दिनांक 13.07.2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला अन्तर्गत बलुवाकोट–काण्डा मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 1.850 हे0 वन भूमि के बदले दोगुनी 3.700 हे0 राज्य भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला अन्तर्गत बलुवाकोट–काण्डा मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 1.850 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बलुवाकोट पट्टी बलुवाकोट तहसील धारचूला के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–304 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 19639 मध्ये रकवा 0.481 हे0, 19640 मध्ये रकवा 0.627 हे0, 19662 रकवा 2.091 हे0 तथा खाता संख्या–324 श्रेणी–10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 19641 रकवा 0.501 हे0 इस प्रकार 02 खातों के कुल 04 खेतों की 3.700 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, धारचूला स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 01/9/2022

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या–2663/सात–67/2021–22 दिनांक सितम्बर 02, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी धारचूला।
4. तहसीलदार धारचूला को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट।

नोडल अधिकारी (वन)/अभी०

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।